...24.12.93

सिटी बोर्ड (नगर परिषद) जौनपुर की दिनांक 15 की स्थगित बैठक 22.12.93 को आहूत की गयी, जि यद्यपि नियमानुसार निर्धारित गणपूर्ति (कोरम) की आवश्यकता थी, तथापि सदन में उपस्थित सभासदों द्वारा आपसी सहमति से बैठक 24.12.93 के लिए बुलायी जानी तय पायी गयी, और 24.12.93 को बैठक नगर परिषद कार्यालय में अपरान्ह 4.00 बजे श्री सीताराम अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें सम्मिलित सदस्यों के नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार

1.	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष
2	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	मान्य सभासद
3	" राम अधार यादव	" "
4	" बाबूलाल गुप्त	" "
5	" बिहारी लाल	" "
6	" नजीर अहमद	" "
7	" अमरनाथ	नामित सभासद
8	" रमजान खाँ	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
9	" दयाशंकर गुप्त	मान्य सभासद
10	" गणेश नाथ रावत	" "
11	" सैय्यद मेंहदी हसन	" "
12	" मुख्तार अहमद	" "
13	" लक्ष्मी नारायन यादव	प्रतिनिधि सांसद
14	" हाजी मो० सलीम	मान्य सभासद
15	" दुबलाल	" "
16	" वीरेन्द्र कुमार यादव	" "
17	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	" "
18	श्रीमती निर्मला सिंह	नामित सदस्या

(सत्य प्रकाश पाठक)
अधिशासी अधिकारी, (सिटी बोर्ड जौनपुर)
सिटी बोर्ड जौनपुर

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड जौनपुर

24.12.93

प्रस्ताव	निर्णय
पिछली बैठक दिनांक 21.7.93 व आपातकालीन बैठक दिनांक 24.8.93 व 6.10.93 की कार्यवाही बाबत पुष्टि।	पढ़ी गयी एवं पुष्टि की गयी।
पालिका द्वारा नगर में विभिन्न मार्गों की तहबाजारी वसूली कार्य के लिये पूर्व से तैनात 3 दैनिक मजदूरी पर कार्यरत तहबाजारी मोहर्रिर की सेवायें 1.8.93 से 31.12.93 तक 30/- प्रति दिन प्रति मोहर्रिर की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पोषित अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
3 पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु लगाये गये 3 दैनिक मजदूरी पर मिस्त्री की सेवायें 30/- प्रति दिन प्रति मिस्त्री की दर से 1.8.93 से 31.12.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पोषित स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।
4. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निस्तारण हेतु 11.10.89 के पूर्व से कार्यरत 8 स्वच्छकार की सेवायें 1.8.93 से 31.12.93 तक तक 25/- प्रति दिन प्रति स्वच्छकार की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पोषित स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।
5 पालिका सफाई विभाग द्वारा सफाई कार्य के निस्तारण हेतु	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव

24.12.93

	प्रस्ताव	निर्णय
5	11.10.89 के पूर्व से कार्यरत एवं उन मिस्त्री को जिनकी सेवायें 3 वर्ष पूरी न रही हो तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी न करते हों, परन्तु 11-10-89 को कार्यरत रहे हों, को शासनादेश संख्या 1717/9-1-92 दिनांक 8.1.92 के निर्देशानुसार सेवा से न निकाला जाय, सम्बन्धी विभागीय निर्देश के तहत नगर में सफाई जैसी आवश्यक सेवा को दृष्टिगत रखते हुए 17 स्वच्छकार की सेवायें 25/- दैनिक मजदूरी पर स्वीकार किये जाने हेतु दिनांक 1-8-93 से 31.12.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद समक्ष स्वीकृति हेतु।	
6 6	पालिका जलकल विभाग में पेयजलापूर्ति व्यवस्था के लिए नलकूपों के संचालन हेतु 12 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें 30/- प्रति पम्प अटेन्डेन्ट की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.8.93 से 31.12.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव 25.12.93

		निर्णय:-
7	प्रस्ताव:- पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु 4 बेलदारों की सेवायें 25/- प्रतिदिन प्रति बेलदार की दर से 1.8.93 से 31.12.93 तक समयावधि लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
8	पम्पाई बाबत मोहल्ला सिलावट टालका टोला स्थित एवं हिन्दी भवन नलकूप के हस्तांतरण विषयक जल निगम (पेयजल) से प्राप्त पत्र के क्रम में नलकूपों के संचालन हेतु दैनिक मजदूरी पर कर्मचारी रखे जाने पर शासन द्वारा प्रतिबंध की स्थिति में नलकूपों का संचालन ठेकेदारों के माध्यम से मैसर्स एम०डी० इन्टरप्राइजेज 150/17 इन्दिरा नगर लखनऊ के न्यूनतम रेट 48.50 पैसे प्रति नलकूप प्रतिदिन की दर से ठेके पर दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
9.	सिविल बोर्ड जौनपुर की वित्तीय वर्ष 1993-94 के माह जून 93 से अक्टूबर 93 तक मासिक आय व्यय लेखा परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु	स्वीकार्य।

सामान्य प्रस्ताव

24-12-93

	प्रस्ताव	निर्णय
10	प्रस्ताव श्री बाबूलाल गुप्त मान्य सभासद जिसका समर्थन श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, मान्य सभासद ने किया, कि माननीय राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे जौनपुर के महल के फाटक से होते हुये जो रास्ता खासनपुर तथा श्री हमजा मिलो को जाता है, का नामकरण उक्त क्षेत्र के प्रतिष्ठित व सामाजिक व्यक्तित्व के पुरुष "श्री गुल्लूराम यादव मार्ग" रखा जाय, जिसका व्यय उनके परिवार के सदस्य वहन करेंगे, सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन दे।	स्वीकार।
11.	फर्मादि बाबत कोतवाली से दीवानी कचेहरी को जाने वाले मार्ग से मियाँपुर एडवोकेट्स कालोनी / जजेज कालोनी वाले मार्ग का नामकरण इस पालिका के पूर्व अधिवक्ता स्व० मुरलीधर उपाध्याय के नाम पर "पं० मुरलीधर उपाध्याय मार्ग" रखा जाय जो एक सम्मानित विशिष्ट व्यक्ति थे, जिसका व्यय उनके सुपुत्र श्री चन्द्रशेखर उपाध्याय, वहन करेंगे, सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन दे।	स्वीकार।
12-	फर्मादि बाबत कोतवाली कचेहरी चौराहे के मोड़ डाँक बंगले (लाइनबाजार) की ओर जाने वाली सड़क का	स्वीकार

प्रस्ताव	निर्णय
नामकरण श्री राजबहादुर यादव मार्ग रखा जाय, जो एक सामाजिक, प्रतिष्ठित प्रभावशाली, समाजसेवी, एवं राजनैतिक व्यक्ति थे और वर्ष 1967, 1974, 1977 के निर्वाचनों में सदर विधान सभा क्षेत्र के विधायक भी निर्वाचित हुये थे, इस क्रम में पत्थर आदि लगवाने की कार्यवाही उनके परिवार के सदस्य वहन करेंगे, परिषद अनुमोदन हेतु।	
13. प्रस्ताव बाबत सब्जी मंडी चौराहे से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क जो मोहन टाकीज से होते हुए उर्दू मोहल्ला को जाती है, का नामकरण उस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति स्व० गुलजारी लाल वर्मा मार्ग" रखा जाय, जिस पर होने वाला व्यय उनके परिवार के सदस्य वहन करेंगे, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
14. आख्या राजस्व प्रभारी मय संस्तुति अधिशासी अधिकारी कि सिटी बोर्ड पालिका कार्यालय भवन के समक्ष लान का किराया जो 25/- प्रतिदिन तथा प्रकाश शुल्क 10/- निर्धारित है, वर्तमान बाजार भाव को देखते हुए बहुत ही कम है, पर किराया प्रति दिन मय प्रकाश शुल्क के ~~200~~ 125/- (एक सौ पच्चीस) निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव 24.12.23

	प्रस्ताव	निर्णय
15.	आलिया राजस्व प्रभारी बावत मरदानपुर स्थित निष्प्रयोज्य बैहित भूमि को शासनादेश के तहत समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार करके टेन्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्चतम बोली, नीलामी का ₹ 40,445=00 में बेच दिया गया है, जिस पर शासन की स्वीकृति हेतु पत्राचार किया गया है, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
16.	आलिया राजस्व प्रभारी बावत मो० नवाबगंज स्थित भूमि सं० 15, 15/1, 15/2 का पट्टा का समय समाप्त होने पर अवैध कब्जा से बचाने हेतु शासनादेश के तहत समाचार पत्र के माध्यम से व्यापक, प्रचार प्रसार करके टेन्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्चतम बोली ₹ 2,40,000=00 में उक्त भूमि नीलाम की गयी है, जिस पर शासन को स्वीकृति हेतु पत्राचार किया गया है, परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार। पत्राचार किया गया है।

प्रस्ताव	निर्णय:-
17. आख्या राजस्व प्रभारी, बाबत पुरुषोत्तमपुर है, जलकल पंप के समक्ष, तिराहा जो नलकूप, जो काफी अर्से से बेकार पड़ा है, को निकलवाने सर्जा यो च्योती, पुत्र निवासी मो० पुरुषोत्तमपुर, जौनपुर हालाकि अस्थायी रूप से किराये को उक्त नलकूप पर दिये जाने का प्रस्ताव, इस आशय के साथ, कि उससे पालिका को आर्थिक लाभ होगा, जिसे बिना किसी विवाद के खाली करा लेने की शर्त भी रहेगी, बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
18. सिटी बोर्ड जौनपुर के वर्ष 1993-94 के माह नवम्बर 93 का मासिक आय-व्यय लेखा परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
19. प्रस्ताव श्री गणेशलाल रावत बाबत मोहल्ला उर्दू में स्थित डा० रामाशंकर अग्रवाल के मकान से जो रास्ता सरस्वती शिशु मंदिर को जाता है, का नामकरण उस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति "डा० रामाशंकर अग्रवाल मार्ग" रखा जाय, जिसका व्यय भार उनके पुत्र डा० जगदीश अग्रवाल वहन करेंगे, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
20. पत्रांक बाबत शासनादेश संख्या 272 A/9-1-93-503-(सा० स०अनु०)/92 दिनांक 2-3-93 द्वारा प्राप्त विशेष अनुदान रुपया 13,60,000/- तेरह लाख साठ हजार) जिसके लिये	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव — 24.11.93

	प्रस्ताव	निर्णय
20	निविदायें आमंत्रित की गयी थी, न्यूनतम टेन्डर के अनुसार कुल 59 निर्माण कार्य पर व्यय होने वाला धन = रु 12,02,524.92 पैसे परिषद अनुमोदन हेतु।	
21.	प्रस्ताव बावत शासनादेश सं० 119 सी.आई.पी.एम./8-1.93 मा. घोषणा दिनांक 8.1.93 के अन्तर्गत प्राप्त एकमुश्त अनुदान रु 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) से कराये जाने वाले 28 विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए बनाये गये व्यय अनुमान रु 15,64,152.41 पैसे परिषद स्वीकृति हेतु।	स्वीकार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।
22.	प्रस्ताव बावत मोहल्ला उर्दू में जलकल परिसर के रोड साईड पर दुकानों के निर्माण का टेन्डर जो बोर्ड के प्रस्ताव सं० 11, दिनांक 10.5.91 के अन्तर्गत न्यूनतम टेन्डर मैसर्स सुभाषकुमार - सतीशकुमार ठेकेदार का रु 03,88,074.12 पैसे को स्वीकार किया गया था, जलकल में तीन अदद शौचालय, बनवाने तथा जलकल के	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव 24.12.93

प्रस्ताव	निर्णय
उत्तरी तरफ को बाउन्ड्रीवाल तोड़कर रास्ता चौड़ा करने आदि अतिरिक्त कार्य में अतिरिक्त व्यय मात्र रु. 43,950.60 पैसे परिषद अनुमोदन हेतु।	
23. प्रस्ताव श्री रमजान खां, कांतिध्र उपाध्यक्ष बाबत शाहगंज रोड से साजदा कालिका इन्टर कालेज तक सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 150 मीटर है, नागरिकों के आवागमन की दृष्टिकोण से निर्माण करवाना जाना आवश्यक है, जिसे शासनादेश सं० 2729/9-1-93-503 (सा० स० अनु०)/92 दिनांक 2.3-93 के अन्तर्गत प्राप्त सड़क अनुदान रु 13.60,000=00 में से 59 निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय (ठेका मूल्य के अनुसार) 12,02,525=00 के बाद अवशेष अनुदान रु 1,57,475=00 उक्त मार्ग के निर्माण पर व्यय किया जाय, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
24. अनधिकृत जलकल कनेक्शन की स्वीकृति से, प्रस्ताव श्री रमजान खाँ, कांतिध्र उपाध्यक्ष, जिसका समर्थन श्री मुख्तार अहमद, मान्य सभासद ने किया, बाबत नगर में जिन उपभोक्ताओं (नागरिकों) ने अवैध रूप से पेयजल कनेक्शन ले लिया है, जिन्हें मान्य सभासद द्वारा समय समय पर कई बार के ऐसे सभी उपभोक्ताओं (नागरिकों) को स्वयं सूचित करा दें कि वे	स्वीकार।

सामान्य प्रस्ताव

24.12.93

निर्णय:

24 प्रस्ताव
वे 15 दिन के अन्दर आने
जाने पेयजल कनेक्शन
को वैध कराले एवं पानी
का मीटर लगा ले और
उसकी वैधानिक प्रक्रिया
शुल्कानुसार करली हो जो
शिविर लगाया, उसमें उक्त
अवैध पेयजल कनेक्शनों
को वैध करा लिया जाय,
तब तक के लिये, उक्त
अवैध कनेक्शन को न
काटा जाय, पेयजल कनेक्शन
की वैधानिकता पूरी हो
जाने के पश्चात मीटर
रीडर उसकी नियमित रूप
से रीडिंग ले और तब
रीडिंग के अनुसार बिल
उपभोक्ताओं / नागरिकों को
भेजा जाय। रीडिंग कार्य
को आमेलानित किये जाने
हेतु सम्बन्धित उपभोक्ताओं
नागरिकों को मीटर कार्ड भी
निर्गत किया जाय, इन कार्यों
हेतु उपभोक्ताओं / नागरिकों
को एक माह का समय दिया
जाय, परिषद स्वीकृति हेतु।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
(विशेष वेतनमान)
सिटी-बोर्ड जौनपुर
24.12.93

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
24.12.93

लिपिक-
महेशनारायण
का०अ०
सिटी बोर्ड जौनपुर

विशेष प्रस्ताव :- 25-12-93

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 25-12-93 से सम्बन्धित विशेष प्रस्ताव

	प्रस्ताव	निर्णय
1	प्रस्ताव बाबत सिटी-बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1993-94 का संशोधित आय व्यय मय संलग्नकों और व्याख्यात्मक आख्या (कमेन्ट्री रिपोर्ट) परिषद विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।
2.	प्रस्ताव बाबत यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा 10AA के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या 2354/17-74-1977 दिनांक 10-8-77 एवं नगर विकास अनुभाग-4 शासनादेश संख्या 1960/11-4-1986 दिनांक 10-3-1986 जिसके अन्तर्गत यह पालिका, नगरपालिका से सिटी-बोर्ड के स्तर में 1-3-86 से वर्गोन्नत की गयी है, पालिका में प्रभारी-अधिकारी का पद समाप्त करते हुए समस्त अधिकार प्रशासक/अधिशासी-अधिकारी में निहित होंगे, के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी / प्रशासक के आदेश सं० 2278(5) जे०ए०-3/तीन-34 उ०अ० प्रतिनिधायन /82-87 दिनांक 21-3-88 के अन्तर्गत दिए गये समस्त अधिकार, जो [illegible] निवर्तमान अधिशासी-अधिकारी श्री रामगणेश त्रिपाठी, को प्रतिनिधानित किये गये थे, नवगठित बोर्ड के चयन दिनांक 8-2-89 को स्वत: समाप्त हो गया था। गठित पालिका का कार्यकाल यद्यपि 7-2-94 को पूर्ण हो जायेगा, जिसके विस्तारण की	स्वीकार।

विशेष प्रस्ताव 25-12-93

प्रस्ताव	निर्णय
2. सम्भावनाये भी हो सकती है, के क्रम में निम्नांकित अधिकार एवं कर्तव्य श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी, में प्रतिनिधानित किये जाँय, जिसके लिए सभासदों ने लिखित सहमति दी है, सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	
1. रु. 25,000/- तक की निविदायें एवं अन्य व्यय स्वीकृत करने का अधिकार।	
2. संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916 की अद्यावधिक संशोधित धारा 74 में पालिका के अकेन्द्रीयित सेवा संवर्ग के कर्मचारियों सम्बन्धी पालिका अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार।	
3. म्युनिस्पल एकाउन्ट कोड एवं जौनपुर म्युनिस्पैलिटीज रूल्स एवं रेगुलेशन एण्ड बाईलाज में घोषित नियमों-उपनियमों और उपविधियों में घोषित बोर्ड उसकी कमेटियों और अध्यक्ष के समान अधिकार।	
उपरोक्त का कार्यान्वयन/अनुपालन पालिका गठन कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात प्रभावी माना जायेगा।	

निरोप प्रस्ताव - 25-12-93

प्रस्ताव	निर्णय :-
3. प्रस्ताव बाबत सिटी बोर्ड जौनपुर के समस्त कर्मचारियों के वेतनादि का जनवरी 92 से भुगतान जिलाधिकारी महोदय के स्तर से स्थानीय राजकोष से भुगतान किए जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृत स्टाफ की संख्या सामान्य प्रशासन अनुभाग में परिचालक का केवल 7 पद प्रदर्शित करते हुए एक ही पद रिक्त दिखाया गया था, जो गलत था, कार्यालय अधीक्षक की रिपोर्ट कि सामान्य प्रशासन अनुभाग में स्वीकृत परिचालक का पद 8 था और रिक्त पद 2 था, जिसकी पुष्टि लेखाकार द्वारा कर ली गयी है, यह परिलेखाकार की आख्या द्वारा स्वीकार किया गया है कि जनवरी 92 में वेतन जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भुगतान के समय पदों के सृजन की जाँच ए०डी०एम० महोदय द्वारा करने के समय, भूल से रिक्त पद दो के स्थान पर एक ही लिख गया था, जो भूल थी, जिसका सुधार भी आवश्यक है। उक्त दोनों रिक्त पदों पर शासनादेश सं० 5839/9-1-92-62 सा/92 दिनांक 26-6-92 के परिप्रेक्ष्य में दैनिक वेतन पम्प अटेन्डेन्ट श्री रामबहादुर पुत्र श्री मंगलराम व श्री मनोजकुमार उ० पुत्र श्री महेशनारायण, जो 11-10-91 के पूर्व से दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं, की परिचालक पद पर नियुक्तियाँ की गयी हैं, परिषद स्वीकार्यार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु।	पढ़ा गया। सदन के निर्णयानुसार आवश्यक संशोधन किया जाना पारित किया गया। रिक्त दोनों पदों पर क्रमशः श्री रामबहादुर एवं श्री मनोजकुमार की की गयी नियुक्ति का अनुमोदन सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

विशेष प्रस्ताव 24.12.93

	प्रस्ताव	निर्णय
4.	पत्रावलि बावत बोर्ड की बैठक दिनांक 22.10.92 में 14 माननीय सभासदों की सहमति से नगर पालिका अधि. नियम की धारा 298 के तहत म्युनिसिपल बाईलाज में बनाये गये रिक्शा लाईसेन्स, एक्का, बैलगाड़ी आदि के लाइसेन्स की दरों को संशोधित करने हेतु प्रस्ताव सं० 19 द्वारा पारित करते हुए नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव समाचार पत्र के माध्यम से माँगे जाने के उपरान्त इसे प्रभावी किये जाने की दिशा में सदन में पुनः विशेष प्रस्ताव सं० 5 दिनांक 31.3.93 द्वारा विशेष संकल्प के रूप में उपस्थित 16 माननीय सभासदों द्वारा लागू किया जाना पारित कर दिया गया है, जिसे नगर में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से पत्राचार किया गया है, जो स्वीकृति के अभाव में लागू नहीं किया जा सका, सम्बन्धी प्रकरण सदन के समक्ष विचारार्थ।	पढ़ा गया। स्थिति को जिलाधिकारी महोदय को [illegible] किया जाना पारित किया गया।
5.	पत्रावलि बावत जलकल परिसर के पास बगीचा उपरसों में शाहगंज रोड पर 17 दुकानों के निर्माण कार्य का व्यय अनुमान 5,73,492=16 पैसे का परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु इस आशय के साथ कि टेन्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले न्यूनतम टेन्डर की भी स्वीकृति दे दी जाय, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

विशेष प्रस्ताव

25-12-93

प्रस्ताव	निर्णय
6. पत्रादि बाबत सिटी बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 22.10.92 में निम्नान्त सभासदों की सहमति से लाये गये प्रस्ताव सं० 20 दिनांक 22-10-92 के अन्तर्गत आटा, चक्की, हॉल, आइसक्रीम फैक्ट्री, छोटे, बड़े होटल, इत्यादि की पुरानी दरों को संशोधित किये जाने की प्रक्रिया में सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार गया, जिसकी औपचारिकता हेतु समाचार पत्र के माध्यम से नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये, कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने पर इसे विशेष संकल्प के क्रम में बोर्ड की बैठक दिनांक 29.1.93 के विशेष पूरक प्रस्ताव सं० एक के अन्तर्गत 17 मान्य सभासदों की सहमति से सर्वसम्मति से लागू किया जाना पारित किया गया, जिसे कार्यान्वित करने हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया, जिस पर स्वीकृति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका है, सम्बन्धी प्रकरण सदन के विचारार्थ।	पढ़ा गया। स्थिति को देखते कार्यकारी आदेश से संशोधित किया जाना पारित किया गया।
7. पालिका गठन कार्यकाल प्रारंभ 8.2.89 से अब तक निर्वाचित बोर्ड द्वारा जनहित के किये गये कार्यों का विवरण, मान्य सभासदों की फोटो सहित जीवनी, शैक्षिक योग्यता, उद्यम, उनकी ~~उनकी~~ अभिरुचि, अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी आदि का विवरण एवं अन्य लोकोपकारी विवरण प्रकाशित कराये जाने हेतु स्मारिका प्रकाशित कराने का प्रस्ताव तथा इस पर होने वाला व्यय परिषद अनुमोदित हेतु।	स्वीकार

विशेष प्रस्ताव 24.12.93

अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
(विशेष वेतनमान)
सिटी बोर्ड गोरखपुर
24.12.93

(गीता [illegible])
अध्यक्ष
सिटी बोर्ड गोरखपुर
24.12.93

प्रेषक – महेश [illegible]
कार्यालय अधीक्षक/ [illegible]
सिटी बोर्ड गोरखपुर

विशेष पूरक प्रस्ताव दिनांक 25.12.93

प्रस्ताव :—	निर्णय :—
राजस्व प्रणाली दिनांक 13.12.93 बावत 1. पालिका प्रभागों की बकाया वसूली एवं शोधनीय के बकाये की वसूली में वृद्धि एवं प्रगति लाने की दिशा में जिन बकायादारों के ऊपर 1,000/- एक हजार रुपये से अधिक बकाया रहे, सम्बन्धित बकायेदारों द्वारा बकाया निर्धारित समय पर जमा न किये जाने पर उस पर 5% प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज हेतु अवशेष धनराशि जमा कराई जाय, सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नियमों में संशोधन आदि लागू किये जाने के दृष्टिकोण से, परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
2. आर० बी० ओ० एक्ट, के अधीन जहाँ स्थानीय निकाय के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं, नगर क्षेत्र के प्रस्तावित मानचित्रों को पारित किये जाने की प्रक्रिया में सिटी बोर्ड अथवा स्थानीय निकायों का नियंत्रण पूर्व की भाँति बना रहे, क्योंकि नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र के स्तर से मानचित्रों को पारित किये जाने की दशा में नगर में अतिक्रमण की सम्भावनायें बढ़ती जा रही हैं, परिषद के समक्ष विचारार्थ।	स्वीकार। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को लिखा जाय।
3. पदोन्नति बावत नगर विकास अनुभाग-4 शासनादेश सं० 348 एम०/9-4-93 दिनांक 13.12.93 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता श्री शाह महमूद अहमद की पदोन्नति, अधिशासी अभियन्ता, के पद पर हुयी है, जिस पर इन्होंने दिनांक 15.12.93 को अपरान्ह में पदभार ग्रहण कर लिया है, परिषद सूचनार्थ।	पढ़ा गया।

निरोज प्रेरक प्रस्ताव 24-12-13

प्रस्ताव	निर्णय
4. प्रस्ताव बावत कलेक्ट्री कचेहरी से लाईनबाजार को जाने वाली सड़क, जो हुसैनाबाद कालोनी / मंडी को जाती है, उक्त सम्पर्क मार्ग का नाम उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित, विशिष्ट व्यक्ति महामहिम राज्यपाल अरुणाँचल प्रदेश माननीय श्री माताप्रसाद मार्ग रखा जाय, जिसका व्यय उनके परिवार के सदस्य वहन करेंगे, परिषद अनुमोदन हेतु।	इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान कोई निर्णय नहीं हो सका। सदन की स्वीकृति नहीं मिल सकी।
5. प्रस्ताव बावत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भवन जो नगर में स्थित है, को करमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में म्युनिसिपल बायलाज में संशोधन करने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु इस आशय के साथ कि इसका अनुमोदन मण्डलायुक्त, वाराणसी से प्राप्त होने के पश्चात, इसे प्रभावी माना जाय।	स्वीकार।
6. प्रस्ताव बावत जलकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय कार्य के समय के अतिरिक्त समय में विषम परिस्थितियों में पेयजलापूर्ति जैसी आवश्यक सेवा में अवरोध न हो, को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अतिकाल भत्ता, जलकल अभियन्ता, के प्रस्तावानुसार स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जिसका म्युनिसिपल बाइलाज में संशोधन आदि की कार्यवाही के पश्चात सम्भव हो सकेगा, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

विशेष प्रेरक प्रस्ताव 24-12-93

प्रस्ताव	निर्णय।
7. प्रमाद वालत, सिटी बोर्ड, जौनपुर में नगर निकाय के आवश्यक कार्यों को विषम परिस्थितियों में तत्काल व्यवस्था क्रम में पालिका के कैशियर के पास 5,000/- पाँच हजार रुपये को अस्थायी अग्रिम कोष रिजर्व के रूप में रखे जाने का विशेष प्रस्ताव परिषद अनुमोदनार्थ हेतु।	स्वीकार।
8. शासनादेश संख्या 4855-सी.एम./9.1.93 (सा0अनु0)/92 दिनांक 11.10.93 के अन्तर्गत सिटी बोर्ड जौनपुर को प्राप्त अनुदान रु 6.25 लाख जो यद्यपि जो शासनादेश में निहित शर्तों के अधीन बकाया विद्युत बिलों को जमा करने के लिए प्राप्त हुआ है, परन्तु सिटी-बोर्ड जौनपुर पर विद्युत बिलों का बकाया 70.00 लाख से भी ज्यादा होने के स्थिति में इस धन का विद्युत बिलों में जमा कराया जाना, निष्प्रयोजन नाम मात्र के लिए हो सकेगा, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त अनुदान को निम्नांकित कार्यमदों पर व्यय करने का विशेष प्रस्ताव परिषद अनुमोदनार्थ हेतु	पढ़ा गया। इस प्रकरण पर कोई निर्णय न हो सकने पर अगली बैठक में रखा जाना पारित किया गया।

1. प्रकाश व्यवस्था. 2,25,380-00
2. ह्वैण्ड्स व हाली 1,77,850-00
3. टैंकर (पेयजल हेतु) 40,000-00
4. हाथ ठेला, लोहे की चादर, टोकरी, फरसा, लोहे का फावड़ा, पेट कवर का — 1,81,855-00

6,25,085-00

विशेष प्रस्ताव 25.12.13

प्रस्ताव	निर्णय:—
उक्त अनुदान को विद्युत बिलो के भुगतान में व्यय न किये जाने के प्रति शिथिलता एवं उपरोक्त कार्य मद में उपयोग किये जाने की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महोदय को संस्तुति की गयी है, उपरोक्त अनुदान R 6.25 लाख महामहिम राज्यपाल महोदय के जौनपुर नगर आगमन पर दिनांक 28.8.13 को उनके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार स्वीकृत की गयी थी, इसलिये उपरोक्त प्रस्तावित कार्य मदों में अनुदान का उपयोग किये जाने प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, परिषद अनुमोदन हेतु	

अध्यक्ष की स्वीकृति से परिषद की बैठक दिनांक 25.12.13 के अन्तर्गत रखे गये प्रस्ताव:—

	प्रस्ताव	निर्णय:—
1	प्रस्ताव श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद, जिसका समर्थन श्री शिवकुमार गुप्त, मान्य सभासद ने किया, बाबत पालिका सीमा के अन्तर्गत स्थित पालिका कर्मचारियों के भवनों को पालिका द्वारा निर्धारित गृहकर जलकर से मुक्त करने एवं जलमूल्य का वार्षिक धनराशि निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि पालिका कर्मचारी जिनके मकान पालिका सीमा के अन्तर्गत है, और उन पर गृहकर आरोपित है, उसे मुक्त कर दिया जाय, और जलमूल्य 25/- प्रतिमाह [illegible] निर्धारित किया जाय, जिसे सर्वसम्मति से

अध्यक्ष की स्वीकृति से रखे गये प्रस्ताव

25.12.93

प्रस्ताव	निर्णय
1. प्रस्ताव बाबत बोर्ड के विशेष प्रस्ताव सं० 5 दिनांक 31.3.93, जिसके अन्तर्गत इस पालिका के पूर्व कार्यालय अधीक्षक, श्री गजाधर प्रसाद के सेवानिवृत्त होने की सूचना सदन को दी गयी, साथ ही कार्यालय अधीक्षक पद पर श्री गजाधर प्रसाद के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उनके अवकाश काल में कार्य करने वाले कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक श्री महेशनारायण जिनके कार्य के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी ने अनुशंसा की थी, उन्होंने कार्य छोड़ दिया है, श्री महेशनारायण को कार्यालय अधीक्षक पद का कार्य देखने हेतु उनके द्वारा संस्तुति भी की गयी थी, कि कार्यालय अधीक्षक पद पर कार्य करने की क्षमता इनमें (श्री महेशनारायण) निहित है, इस प्रकार की संस्तुति पर श्री महेशनारायण, प्रधान लिपिक को कार्यालय अधीक्षक पद का कार्यभार सम्भालने की स्वीकृति सदन में उपस्थित 16 माननीय सभासदों द्वारा प्रदान की गयी है, जिसके अनुमोदन हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को लिखा गया है, के क्रम में श्री निहोरीलाल मौर्य, अवैतनिक नि०प्र० लि०/प्रधान लिपिक ने भी कार्यालय अधीक्षक पद पर कार्य करने हेतु आवेदनपत्र दिया है, सम्बन्धी प्रकरण मौजूद सदन के विचारार्थ।	विचार किया गया। श्री निहोरीलाल मौर्य को अधिष्ठान सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहीं है। कार्यालय अधीक्षक का कार्य दायित्व पूर्ण है, जिसे सही ढंग से सम्पादित करने में श्री निहोरीलाल मौर्य कदाचित सफल नहीं हो पायेंगे अतः इनका प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर किया जाता है।

अध्यक्ष की स्वीकृति से रखे गये प्रस्ताव 28.12.

प्रस्ताव :—	निर्णय :—
3. यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा 131(1) के साथ पठित धारा 136 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी बोर्ड जौनपुर की सीमा में प्रचलित वाटर सप्लाई टैक्स की प्रस्तावित संशोधित दरें, जो विशेष प्रस्ताव के रूप में जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय द्वारा स्वीकार किया गया था, और अधिसूचना संख्या 18 दिनांक 8 सितम्बर 1986 द्वारा परिवर्तन किया गया था, जो गजट दिनांक 6 फरवरी 1988 में प्रकाशित और 1-5-1988 से प्रभावी है, मे सार्वजनिक स्तम्भ/जलसंयोजन सम्बन्धी प्रकरणों पर शुल्क पुनरीक्षण का विशेष प्रस्ताव जो बोर्ड की बैठक दिनांक 28.12.92 के विशेष प्रस्ताव सं० एक के अन्तर्गत रखा गया था, जिस पर यह निर्णय लिया गया कि जलकल समिति के माध्यम से इसे परिषद की बैठक में रखा जाय परन्तु वर्ष 1993 में किसी भी विभागीय समितियां गठित नहीं की गयी है, इस कारण जलकल समिति में रखा नहीं जा सका, बोर्ड की विशेष समिति के निर्णय की दिशा में इसे विशेष प्रस्ताव के रूप में रखने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार है। नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

चर्चोपरान्त :-

आगे सभासदों द्वारा कई प्रस्ताव रखे गये, तथा उनके वार्ड में उनके कथनानुसार सड़कों के निर्माण एवं नामकरण हेतु कहे गये, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूर्व में के बीच जो तय किया गया, उसे अगली बैठक में लगातार लाया जायेगा।

आगे श्री रामनारायण, कनिष्ठ उपाध्यक्ष एवं श्री बाबूलाल व अन्य कई सभासदों ने कहा कि सिटी रेलवे स्टेशन के पास काफी अंधकार रहता है, अतएव वहाँ पर एक लाइट लगवाया जाय, इस पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इस हेतु पूर्व में रेलवे विभाग को लिखा गया है, पुनः स्मरण पत्र लिख दिया जायेगा, चूँकि उक्त क्षेत्र सिटी बोर्ड की सीमा के बाहर है, ऐसी दशा में बोर्ड द्वारा वहाँ पर लाइट नहीं लगवाया जा सकता है, ~~बल्कि~~ बल्कि रेलवे विभाग द्वारा ही संभव है।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
(विशेष वेतनमान)
सिटी बोर्ड जौनपुर
24.12.13

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
24.12.13

लेखक

महेश नारायण,
कार्यालय अधीक्षक/ परिषद लिपिक,
सिटी बोर्ड जौनपुर।